

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 28/02/2020


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 2.015 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Extension of Umatta-Barsali-Mauna Motor Road to Bairfala-kanda in Block-Karanprayag, District-Chamoli under C.M.Ghosna** falls within jurisdiction of Mauna Bairfala and Kanda Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.015 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above


 प्रभागीय वनाधिकारी
 बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
 (चमोली)


 जिला अधिकारी
 चमोली
 District Magistrate
 Chamoli (Uttarakhand)

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of *Swati's Bhadaniya* (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 28.02.2020. At 15.00 hrs at Chamoli in which the application claiming rights in village Mauna, Bairfala and Kanda of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 2.015 Hectares for the **Extension of Umatta-Barsali-Mauna Motor Road to Bairfala-Kanda in Block-Karanprayag, District-Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

AC

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

SW
जिला अधिकारी

रामोली
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

[Signature]
जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - कालेश्वर

तहसील कर्णप्रयाग, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 741/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.990 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.248 हे० सिविल सोयम भूमि, ~~0.248~~ हे० वन पंचायत भूमि 1.238 अर्थात् कुल 2.238 हे० वन भूमि का लो.नि.वि विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~कालेश्वर~~ द्वारा दिनांक 15-06-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो.नि.वि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सदस्य
ग्राम पंचायत कालेश्वर
दि० 15/06/2017 कर्णप्रयाग
ग्राम सचिव
पप०एम० कजवाल
का०पं०वि०अ०



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 15-06-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री रणजीत सिंह	
2-	" बाबूवल्लभ	
3-	" हरिण चोहरा	
4-	" सुरेंद्र सिंह	
5-	" बलवीर सिंह	
6-	" राजेंद्र सिंह	
7-	श्रीमती उमिला देवी	उमिला देवी
8-	" कुसुमलता	कुसुमलता
9-	" लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
10-	" मंगू देवी	मंगू देवी
11-	श्री सुनील सिंह	Sunil
12-	" धनश्याम दत्त	धनश्याम दत्त
13-	" विनोद कुमार	Vinod Kumar
14-	" आनंद कुमार	Anand Kumar
15-	" सतेंद्र कुमार	Satendra Kumar
16-	" अजय सिंह	Ajay Singh
17-	" अरविन्द कुमार	Aravind Kumar
18-	" श्री प्रसाद	Prasad
19-	" संदीप सती	Sandeep Sati
20-	श्रीमती रजनी सती	Rajani Sati
21-	" दीपा देवी	दीपा देवी
22-	" चेतना	chetna

सरपंच
 बल पंचायत, जिला बंगाल
 तहसील बंगाल

एम०एम० अजवाल
 ग्राम पंचायत 370

ग्राम पंचायत का
 दिनांक 15-06-17
 ग्राम प्रमुख
 बाग (बमोली)

परियोजना का नाम :

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम उमट्टा
तहसील चमोली, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला काण्डा तक विस्तारीकण निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.120 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.499 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.158 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल ^{0.777} हे0 वन भूमि का (100-0.777) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उमट्टा द्वारा दिनांक 15/06/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किम्पी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उमट्टा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोग नो बिड प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव

ह0/-
ग्राम प्रधान 15/06/2020


नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

1) पुष्पा देवी सचि मेमबर वरिष्ठ - 5 - पुष्पा देवी
2) विजय सिंह सचि मेमबर - 6 - vijay.

प्रपत्र- 23.1


दिनांक...15/06/2028...का ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत...कुम्हार...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जनरल फिरे-श्रीधर	Dunder
2	बख्शीर फिरे-श्रीधर	Banwar
3	साय फिरे-श्रीधर	श्रीधर फिरे
4	श्रीधर फिरे	Sonbark
5	कनक-श्रीधर	श्रीधर
6	गोदावरी-श्रीधर	श्रीधर
7	श्रीधर-श्रीधर	श्रीधर
8	श्रीधर-श्रीधर	श्रीधर
9	श्रीधर-श्रीधर	श्रीधर
10	श्रीधर-श्रीधर	श्रीधर
11	श्रीधर-श्रीधर	श्रीधर
12	श्रीधर-श्रीधर	श्रीधर
13	श्रीधर-श्रीधर	श्रीधर
14	श्रीधर-श्रीधर	श्रीधर
15		
16		
17		
18		
19		



संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वनअधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।


बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 2.015 हे० वनभूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्तकर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप जिला अधिकारी
उपखण्डस्तरीय वनअधिकारसमिति

तहसील-कर्णप्रयाग

जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवंआवयक कार्यवाही हेतु।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकारसमिति

तहसील-कर्णप्रयाग
उप जिला अधिकारी
जनपद-चमोली